राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–II/10 जयपुर, दिनांक : 21 MAR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
करौली।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड जारी करने के संबन्ध में।**

संदर्भः–**विभागीय पत्रांक एफ4(5)ग्रावि/नरेगा/माद/09–10 दिनांक 19.06.2009**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सरपंच ग्राम पंचायत सोप तहसी नादोती जिला करौली द्वारा अवगत कराया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नये जॉबकार्ड बनाये जाने पर पाबन्दी लगा रखी है। इस संबन्ध में कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें जॉबकार्ड जारी करने के संबन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के अनुसार जॉबकार्ड जारी किया जाना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2008 के अध्याय 5 में योजनान्तर्गत पंजीकरण तथा जॉबकार्ड जारी करने के संबन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है। कृपया अधिनियम के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2008 की अनुपालना में नियमानुसार जॉबकार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था कराये जाने का श्रम करें। जॉबकार्ड जारी किये जाने पर किसी भी तरह की कोई रोक नही है।

भवदीय
21/3/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. **जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा समस्त (करौली को छोडकर) राजस्थान।**
2. **अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।**
3. **अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।**
4. **रक्षित पत्रावली।**

21/3/11
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस